राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम	आलोच्य आदेश दिनांक
1.	603/2020 अशोक कुमार	1. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर। 2. महानिरीक्षक, पुलिस, भरतपुर रेंज, भरतपुर। 3. पुलिस अधीक्षक, धौलपुर।	13.07.2020	श्री एम.एम.महर्षि, अभिभाषक एवं श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता	14.06.2019, 19.02.2020 एवं 26.06.2020
2.	604/2020 लोकेश कुमार				
3.	605/2020 राजीव				
4.	606/2020 महेश				
5.	607/2020 ताराचन्द				
6.	608/2020 सुमन ठाकुर				
7.	609/2020 श्रीमती रेखा				
8.	610/2020 हरिओम शर्मा				

आदेश की दिनांक : 12.07.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 603/2020 अशोक कुमार बनाम महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर वर्ष 2016–17 की हैड कांस्टेबल के पद की रिक्तियों का सही तरीके से पुनर्निधारण किया जाए तथा वर्ष 2013–14 से वर्ष 2016–17 तक की रिक्तियों का भी वर्षवार पुनर्निधारण किया जाए। आदेश दिनांक 14.06.2019 जिसके द्वारा वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध बिना पूर्व में सूचना दिए जो कांस्टेबल चयनित किए गए हैं, को अपास्त फरमाया जावे।

आदेश दिनांक 19.02.2020 जिसके द्वारा वर्ष 2016–17 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद के लिए जो चयनित किए गए हैं, को अपास्त फरमाया जावे। आदेश दिनांक 26.06.2020 जिसके द्वारा मनोनीत कांस्टेबल जो वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में पी.सी.सी. के लिए चयनित किए गए हैं, को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि हैड कांस्टेबल के पद की रिक्तियों के

विरूद्ध वर्ष 2016–17 में उन 18 रिक्त पदों को भी जोडा जाए जो हैड कांस्टेबल से ए.एस.आई. के पद पर पदोन्नत होने से रिक्त हुए हैं। उन्हें यह भी निर्देश दिए जावें कि वर्ष 2016–17 में बढ़े हुए हैड कांस्टेबल के पदों पर अपीलार्थी की पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार किया जावे एवं उसकी वरिष्ठता ध्यान में रखते हुए पदोन्नति प्रदान कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर पुलिस थाना, सरमथुरा, धौलपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि वर्ष 2017 में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 39 हैड कांस्टेबल के पद की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति परीक्षा जिला धौलपुर में वर्ष 2016–17 में आदेश दिनांक 03.10.2016 के द्वारा आयोजित की गई। रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध 39 कांस्टेबलों का हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए चयन किया गया, जो सूची दिनांक 21.04.2017 (अनुलग्नक–2) से प्रकट होता है। हैड कांस्टेबल से ए.एस.आई. के पद पर पदोन्नति के लिए धौलपुर जिले में वर्ष 2012–13 के लिए परीक्षा आयोजित की गई, जो पदोन्नति आदेश माह जनवरी, 2016 में आयोजित किया गया। वर्ष 2013–14 के लिए 27 ए.एस.आई. के पद की रिक्तियों का वर्ष 2015 में सूचना जारी की गई और जून, 2016 में पदोन्नति प्रदान की गई। 23 ए.एस.आई. के पद की रिक्तियों को वर्ष 2014–15 में कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसकी सूचना दिसम्बर 2015 में जारी की गई और सितम्बर, 2016 में पदोन्नति प्रदान की गई। 24 ए.एस.आई. के रिक्त पद जो हैड कांस्टेबल से ए.एस. आई. के लिए परीक्षा आयोजित की जानी थी, जो आदेश दिनांक 17.04.2017 के द्वारा सूचित किया गया। कुछ कांस्टेबल वर्ष 2016–17 में हैड कांस्टेबल के पद की परीक्षा में उपस्थित हुए। परंतु रिक्तियों का गलत निर्धारण होने के कारण मामला अधिकरण में प्रस्तुत किया गया। अधिकरण के आदेश दिनांक 02.05.2017 के द्वारा विवादग्रस्त आदेश दिनांक 06.08.2015 के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 21.11.2019 के द्वारा वर्ष 2016–17 की 21 रिक्तियों के विरूद्ध दिसम्बर 2019 में परीक्षा आयोजित की गई, जिसका परिणाम घोषित कर दिया गया। इसके पूर्व पुलिस अधीक्षक, धौलपुर द्वारा आदेश दिनांक 14.06.2019 के द्वारा 9 कांस्टेबलों को जो वर्ष 2013–14 के हैड कांस्टेबल की रिक्तियों के विरूद्ध चयनित हुए थे, उन्हें पी.सी.सी. के लिए भेजा गया। उसके पश्चात् आदेश दिनांक 20.11.2019 के द्वारा जो पदोन्नति के लिए परीक्षा आयोजित की गई, उसे निरस्त कर दी गई। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2016 को

धौलपुर जिले की हैड कांस्टेबल के पद की वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें वर्ष 2014–15 तक की स्थिति दर्शायी गई और जो 9 कांस्टेबल वर्ष 2013–14 के विरूद्ध रिव्यू के आधार पर चयनित हुए थे। उनमें से कुछ कार्मिकों ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.02.2020 के द्वारा 18 हैड कांस्टेबल जो ए.एस.आई. के पद पर रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध चयनित हुए उन्हें पी.सी.सी. के लिए भेज दिया गया, जो अनुलग्नक–10 से प्रकट होता है। आदेश दिनांक 11.02.2020 के द्वारा वर्ष 2015–16 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल की रिक्तियों को पदोन्नति के द्वारा भरने के लिए पत्र लिखा गया, परंतु बाद में आदेश दिनांक 15.02.2020 के द्वारा 18 पदों को कम कर दिया गया, जो अनुलग्नक–12 से प्रकट होता है। आदेश दिनांक 19.02.2020 के द्वारा पदोन्नति परीक्षा रिव्यू के दौरान वर्ष 2015–16 के लिए हैड कांस्टेबल के 18 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद की परीक्षा आयोजित कर कांस्टेबल जो वर्ष 2016–17 में हैड कांस्टेबल बने हैं, उनसे आवेदन पत्र कार्यालय में भिजवाने हेतु सूचित किया गया। आदेश दिनांक 30.03.2020, जिसमें यह कहा गया कि पुनर्निधारण प्रक्रिया के पूर्व ही वर्ष 2015–16 के रिक्त पद शून्य मानकर इनके जिलों के वर्ष 2016–17 के कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा आयोजित की गई और जिन्होंने योग्यात्मक परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण समस्त अभ्यर्थियों को पूर्ववर्ती वर्ष की रिक्तियों में वरिष्ठता के आधार पर समायोजित किए जाने हेतु रिव्यू प्रक्रिया की जावे। कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची दिनांक 28.04.2020 में वर्ष 2019 एवं 2020 के लिए दिनांक 01.04.2019 से एवं 01.04.2020 से सूची दिनांक 28.04.2020 में अपीलार्थी की स्थिति को दर्शाया गया है। हैड कांस्टेबल की धौलपुर जिले की वरिष्ठता सूची पुनः दिनांक 28.04.2020 को जारी की गई। हैड कांस्टेबल की स्क्रूटनी करने पर वरिष्ठता सूची दिनांक 20.11.2019 को जारी की गई, जिसमें वर्ष 2013–14 के विरूद्ध क्रम संख्या 117 से 120 एवं 126 से 128 तक हैड कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2019 में चयन किए जा चुके हैं और पी.सी.सी. के अधीन भेजे जा चुके हैं। कांस्टेबल की क्रम संख्या 118 से 120 जिन्होंने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 759/2017, 760/2017 एवं 762/2017, 916/2017 प्रस्तुत की, जिसमें 24 ए.एस.आई. के पद पर वर्ष 2016–17 में पदोन्नत किए जाने से हैड कांस्टेबल के पद रिक्त होने से उन्हें हैड कांस्टेबल के पद की रिक्तियों में नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण उक्त कार्मिकों ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 17.06.2020 जिसके द्वारा 18 हैड कांस्टेबल वर्ष

2016–17 में ए.एस.आई. के पद पर पदोन्नत हुए और जिन्हें पी.सी.सी. भेजा जा चुका है। ए.एस.आई. के पद पदोन्नत होने से रिक्त हुए 18 हैड कांस्टेबल के पद और बढ़ गए। हैड कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची दिनांक 28.04.2020 को 01.04.2020 से मानते हुए जारी की गई, जिसमें 39 कांस्टेबल आदेश दिनांक 21.04.2017 के द्वारा चयन किया गया, जिसमें हैड कांस्टेबल रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध केवल 23 कांस्टेबल का हैड कांस्टेबल के पद पर चयन किया गया। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.06.2019 के द्वारा 8 कांस्टेबल का रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पुनर्निधारण एवं रिव्यू किया गया।

अतः अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार कर वर्ष 2016–17 की हैड कांस्टेबल के पद की रिक्तियों का सही तरीके से पुनर्निधारण किया जाए तथा वर्ष 2013–14 से वर्ष 2016–17 तक की रिक्तियों का भी वर्षवार पुनर्निधारण किया जाए। आदेश दिनांक 14.06.2019 जिसके द्वारा वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध बिना पूर्व में सूचना दिए जो कांस्टेबल चयनित किए गए हैं, को अपास्त फरमाया जावे।

आदेश दिनांक 19.02.2020 जिसके द्वारा वर्ष 2016–17 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद के लिए जो चयनित किए गए हैं, को अपास्त फरमाया जावे। आदेश दिनांक 26.06.2020 जिसके द्वारा मनोनीत कांस्टेबल जो वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में पी.सी.सी. के लिए चयनित किए गए हैं, को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि हैड कांस्टेबल के पद की रिक्तियों के विरूद्ध वर्ष 2016–17 में उन 18 रिक्त पदों को भी जोडा जाए जो हैड कांस्टेबल से ए.एस.आई. के पद पर पदोन्नत होने से रिक्त हुए हैं। उन्हें यह भी निर्देश दिए जावें कि वर्ष 2016–17 में बढ़े हुए हैड कांस्टेबल के पदों पर अपीलार्थी की पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार किया जावे एवं उसकी वरिष्ठता ध्यान में रखते हुए पदोन्नति प्रदान कर समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि जिला धौलपुर में वर्ष 2013–14 में हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पद की योग्यात्मक परीक्षा हेतु 27 रिक्त पद पर नहीं होकर 23 रिक्त पदों (एसटी–7 व सामान्य–16) पर आयोजित की गयी, जिसमें आउटडोर एवं साक्षात्कार उपरांत समग्र रूप से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले

उपलब्ध 11 हैड कांस्टेबल को सहायक उप निरीक्षक पद की पीसीसी उत्तीर्ण करने जून 2016 में स.उ.नि. पद पर पदोन्नत किया गया। वर्ष 2014–15 में हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पद की योग्यात्मक परीक्षा हेतु 23 रिक्त पदों (एससी–1, एसटी–7 व सामान्य–15) पर आयोजित की गयी, जिसमें आउटडोर एवं साक्षात्कार उपरांत समग्र रूप से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उपलब्ध 7 हैड कांस्टेबल को सहायक उप निरीक्षक पद की पदोन्नति हेतु चयनित किया गया। चयनित 7 हैड कांस्टेबल द्वारा सहायक उप निरीक्षक पद की पीसीसी उत्तीर्ण करने पर माह सितम्बर 2016 में स.उ.नि. पद पर पदोन्नत किया गया। वर्ष 2016–17 में हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पद की योग्यात्मक परीक्षा हेतु 24 रिक्त पदों (एससी–0, एसटी–6 व सामान्य–18) पर आयोजित किये जाने हेतु स.उ.नि. पद की योग्यात्मक परीक्षा संशोधित रिक्तियों 21 पदों पर योग्यात्मक परीक्षा आयोजित की गई, लिखित परीक्षा दिनांक 08.12.2019 को आयोजित की गयी, लिखित परीक्षा का परिणाम जिला धौलपुर के आदेश दिनांक 30.12.2019 को जारी किया गया, जिसमें दिनांक 09.01.2020 (अनुलग्नक आर–1) को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हैड कांस्टेबल का आउटडोर एवं साक्षात्कार उपरांत समग्र रूप से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उपलब्ध 18 हैड कांस्टेबल को सहायक उप निरीक्षक पद की पदोन्नति हेतु चयनित किया गया। वर्ष 2016–17 में कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की योग्यात्मक परीक्षा 39 रिक्त पदों (एससी–4, एसटी–4 व सामान्य–31) पर आयोजित की गयी। दिनांक 21.04.2017 (अनुलग्नक आर–2) को परीक्षा आयोजित कर वरिष्ठतम 39 कांस्टेबल को रिक्तियों के अनुसार हैड कांस्टेबल पद की पीसीसी हेतु चयन सूची पर लिया गया। चयनित 39 कांस्टेबल द्वारा पीसीसी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरांत माह अक्टूबर 2017 में हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी।

वर्ष 2016–17 की कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की उक्त वर्णित योग्यात्मक परीक्षा में हैड कांस्टेबल से स.उ.नि. पद की वर्ष 2016–17 की योग्यात्मक परीक्षा हेतु स.उ.नि. के विज्ञापित 21 पदों के विरूद्ध चयनित 18 पदों को सम्मिलित नहीं किये जाने के फलस्वरूप जिला धौलपुर में पदस्थापित कुछ कांस्टेबल द्वारा माननीय अपील अधिकरण जयपुर में अपील दायर की गई, जिसमें जिला धौलपुर में कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2016–17 हेतु विज्ञापित 39 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 21.04.2017 को चयन सूची जारी करने के उपरांत दिनांक 02.05.2017 को अंतरिम आदेश पारित किया गया। वर्ष 2015–16

तक की रिक्तियों को वर्षवार सम्मिलित करते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार गठित रिव्यु बोर्ड द्वारा कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की वर्ष 2014–15 तक की पूर्व में आयोजित योग्यात्मक परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों में से पुनः रिक्तियों के अनुसार दिनांक 31.01.2019 को रिव्यु कार्यवाही सम्पादित की जाकर संशोधित चयनसूची तैयार की गई। उक्त रिव्यु प्रक्रिया के दौरान वर्षवार रिक्तियों की गणना पुनः करने पर जिला धौलपुर में वर्ष 2015–16 में हैड कांस्टेबल पद की रिक्तियां उत्पन्न हुई, किन्तु तत्समय तक वर्ष 2016–17 की हैड कांस्टेबल से स.उ.नि. पद की योग्यात्मक परीक्षा का आयोजन नहीं होने तथा कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की वर्ष 2016–17 की योग्यात्मक परीक्षा आयोजन होकर पूर्व में ही दिनांक 21.04.2017 को तत्समय उपलब्ध हैड कांस्टेबल के 39 रिक्त पदों पर चयन सूची तैयार कर जारी किये जाने के कारण पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार वर्ष 2016–17 को पूर्व में आयोजित योग्यात्मक परीक्षा में चयनित एवं तत्समय उक्त योग्यात्मक परीक्षा की में सम्मिलित होकर समग्र रूप से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सफल हुये अभ्यर्थियों में से वर्ष 2016–17 की हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पद की योग्यात्मक परीक्षा आयोजन उपरांत स.उ.नि. पद की पदोन्नति हेतु चयनसूची तैयार होने पर उच्च पद पर चयनित से रिक्त पदों को सम्मिलित करते हुये पुनः हैड कांस्टेबल पद की वर्ष 2016–17 की रिक्तियों की गणना कर संशोधित हैड कांस्टेबल की रिक्तियों अनुसार पूर्व में 2016–17 की कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की योग्यात्मक परीक्षा में सम्मिलित एवं आउटडोर एवं साक्षात्कार परीक्षा में समग्र रूप से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सफल अभ्यर्थियों/पूर्व चयनित अभ्यर्थियों में से दिनांक 31.01.2019 (अनुलग्नक आर–3) को हुई। रिव्यु प्रक्रिया में पूर्व के वर्षों में चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शेष रहे अभ्यर्थियों को पूर्व में उच्च पद की रिव्यु के पश्चात् वर्ष 2015–16 व 2016–17 की रिक्तियों के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर रिव्यु बोर्ड द्वारा दिनांक 01.06.2020 (अनुलग्नक आर–4) को चयन सूची तैयार कर पी.सी.सी. हेतु चयनित किया गया तथा चयनित कांस्टेबल द्वारा कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की पी.सी.सी. सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरान्त हैड कांस्टेबल पद पर पदोन्नत प्रदान की गई। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर जिला धौलपुर में कार्यरत है। वर्ष 2017 में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 39 हैड कांस्टेबल के पद की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति परीक्षा जिला धौलपुर में वर्ष 2016–17 में आदेश दिनांक 03.10.2016 के द्वारा आयोजित की गई। रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध 39 कांस्टेबलों का हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए चयन किया गया। वर्ष 2013–14 के लिए 27 ए.एस.आई. के पद पर जून, 2016 में पदोन्नति प्रदान की गई। 23 ए.एस.आई. के पद की रिक्तियों को वर्ष 2014–15 में कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसे सितम्बर, 2016 में पदोन्नति प्रदान की गई। 24 ए.एस.आई. के रिक्त पद जो हैड कांस्टेबल से ए.एस.आई. के लिए परीक्षा आयोजित की जानी थी, जिसे अधिकरण के आदेश दिनांक 02.05.2017 के द्वारा स्थगित कर दिया गया और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 21.11.2019 के द्वारा वर्ष 2016–17 की 21 रिक्तियों के विरूद्ध दिसम्बर, 2019 में परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.02.2020 के द्वारा 18 हैड कांस्टेबल जो ए.एस.आई. के पद पर रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध चयनित हुए उन्हें पी.सी.सी. के लिए भेज दिया गया, आदेश दिनांक 11.02.2020 के द्वारा वर्ष 2015–16 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल की रिक्तियों को पदोन्नति के द्वारा भरने के लिए पत्र लिखा गया, परंतु बाद में आदेश दिनांक 15.02.2020 के द्वारा 18 पदों को कम कर दिया गया, जो अनुलग्नक–12 से प्रकट होता है। आदेश दिनांक 19.02.2020 के द्वारा पदोन्नति परीक्षा रिव्यू के दौरान वर्ष 2015–16 के लिए हैड कांस्टेबल के 18 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद की परीक्षा आयोजित कर कांस्टेबल जो वर्ष 2016–17 में हैड कांस्टेबल बने हैं। कांस्टेबल की वरिष्ठता सूची दिनांक 28.04.2020 में वर्ष 2019 एवं 2020 के लिए दिनांक 01.04.2019 से एवं 01.04.2020 से सूची दिनांक 28.04.2020 में अपीलार्थीगण की स्थिति को दर्शाया गया है। हैड कांस्टेबल की धौलपुर जिले की वरिष्ठता सूची पुनः दिनांक 28.04.2020 को जारी की गई। हैड कांस्टेबल की स्क्रूटनी उपरान्त वरिष्ठता सूची दिनांक 20.11.2019 को जारी की गई, जिसमें वर्ष 2013–14 के विरूद्ध क्रम संख्या 117 से 120 एवं 126 से 128 तक हैड कांस्टेबल के पद पर वर्ष 2019 में चयन किए जा चुके हैं और पी.सी.सी. के अधीन भेजे जा चुके हैं। कांस्टेबल की क्रम संख्या 118 से 120 जिन्होंने अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 759/2017, 760/2017, 762/2017 एवं 916/2017 प्रस्तुत की, जिसमें

24 ए.एस.आई. के पद पर वर्ष 2016–17 में पदोन्नत किए जाने से हैड कांस्टेबल के पद रिक्त होने से उन्हें हैड कांस्टेबल के पद की रिक्तियों में नहीं जोड़ा गया।

जहां तक आदेश दिनांक 14.06.2019, 19.02.2020 एवं 26.06.2020 को अपीलार्थीगण की सीमा तक अपास्त फरमाने तथा वर्ष 2013–14 से वर्ष 2016–17 तक हैड कान्स्टेबल के पद की रिक्तियों का सही निर्धारण नहीं करने तथा रिक्ति वर्ष 2016–17 में एएसआई के पद पर पदोन्नत होने से रिक्त हुए 18 पदों को नहीं जोडे जाने का प्रश्न है। वर्ष 2016–17 की कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की उक्त वर्णित योग्यात्मक परीक्षा में हैड कांस्टेबल से स.उ.नि. पद की वर्ष 2016–17 की योग्यात्मक परीक्षा हेतु स.उ.नि. के विज्ञापित 21 पदों के विरूद्ध चयनित 18 पदों को सम्मिलित नहीं किये जाने के फलस्वरूप जिला धौलपुर में पदस्थापित कुछ कांस्टेबल द्वारा माननीय अपील अधिकरण जयपुर में अपील दायर की गई, जिसमें जिला धौलपुर में कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की योग्यात्मक परीक्षा वर्ष 2016–17 हेतु विज्ञापित 39 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिनांक 21.04.2017 को चयन सूची जारी कर दी गई।

यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार वर्ष 2016–17 को पूर्व में आयोजित परीक्षा में सफल हुये अभ्यर्थियों में से वर्ष 2016–17 की हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पद की योग्यात्मक परीक्षा आयोजन उपरांत स.उ.नि. पद की पदोन्नति हेतु चयनसूची तैयार होने पर पुनः हैड कांस्टेबल पद की वर्ष 2016–17 की रिक्तियों की गणना कर संशोधित हैड कांस्टेबल की रिक्तियों अनुसार पूर्व में 2016–17 की कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की योग्यात्मक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों/पूर्व चयनित अभ्यर्थियों में से दिनांक 31.01.2019 को संशोधित बोर्ड प्रोसेडिंग जारी हुई। रिव्यु प्रक्रिया में पूर्व के वर्षों में चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शेष रहे अभ्यर्थियों को पूर्व में उच्च पद की रिव्यु के पश्चात् वर्ष 2015–16 व 2016–17 की रिक्तियों के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर रिव्यु बोर्ड द्वारा दिनांक 01.06.2020 को चयन सूची तैयार कर पी.सी.सी. हेतु चयनित किया गया तथा चयनित कांस्टेबल द्वारा कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पद की पी.सी.सी. सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के उपरान्त हैड कांस्टेबल पद पर पदोन्नति प्रदान की गई।

जहां तक एएसआई के पद पर पदोन्नत होने से रिक्त हुए 18 हैड कांस्टेबल के पदों को रिक्ति वर्ष 2016–17 में नहीं जोडे जाने का प्रश्न है, आदेश

दिनांक 21.04.2017 (अनुलग्नक आर–2) के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध विभाग द्वारा 39 हैड कांस्टेबल के पदों के विरूद्ध योग्य वरिष्ठता एवं रिक्तियों के आधार पर कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पीसीसी योग्य पाए जाने पर पदोन्नत किए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि रिक्ति वर्ष 2016–17 के विरूद्ध कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद के विरूद्ध रिक्तियों का निर्धारण कर योग्यात्मक परीक्षा के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार रिक्त पदों को भरा गया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण के इस तर्क में हमें कोई बल प्रतीत नहीं होता है। अतः उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें खारिज फरमाई जाने योग्य हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण एतद् द्वारा खारिज की जाती हैं तथा अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 13.07.2021 का प्रावकाश (vacate) किया जाता है।

मूल आदेश अपील संख्या 603/2020 अशोक कुमार बनाम महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य